

न्यायालय :- पंकज शर्मा, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, गोहद, जिला भिण्ड, म.प्र.  
 (आप.प्रक.क्रमांक :- 775/2016)  
 (संस्थित दिनांक :- 08/12/2016)

म.प्र. राज्य,

द्वारा आरक्षी केन्द्र :- मौ

जिला-भिण्ड, म.प्र.

..... अभियोजन

// विरुद्ध //

01. जीतू उर्फ जीता पुत्र महेन्द्र सिंह यादव, उम्र 20 वर्ष।
02. सोवरन सिंह यादव पुत्र कमल सिंह यादव उम्र 27 वर्ष।  
 निवासीगण :- ग्राम किटैना, थाना :- मौ, जिला-भिण्ड, (म.प्र.)।  
 ..... अभियुक्तगण।

// निर्णय //

( आज दिनांक : 05/09/2017 को घोषित )

01. अभियुक्तगण जीतू उर्फ जीता एवं सोवरन पर भा.द.सं. की धारा 294, 323/34 एवं 324/34 के अन्तर्गत आरोप हैं कि आरोपीगण ने दिनांक :- 14/08/2016 को शाम लगभग 05:34 बजे फरियादी गंगाराम के मामा का घर स्यौड़ा रोड़ वार्ड क्रमांक 12 मो में, जो कि एक लोकस्थान है, पर फरियादी गंगाराम को माँ-बहन की अश्लील गालियाँ देकर क्षोभ कारित किया, सहअभियुक्तगण के साथ मिलकर फरियादी गंगाराम एवं कमल सिंह की मारपीट करने का सामान्य आशय बनाया और उक्त सामान्य आशय के अग्रसरण में अभियुक्त जीतू उर्फ जीता ने घातक आयुध टायर लीवर से कमल सिंह की एवं अभियुक्त सोवरन ने फरियादी गंगाराम की घूँसों से मारपीट कर उन्हें स्वेच्छयाँ उपहतियाँ कारित की।

02. प्रकरण में उभय पक्ष के मध्य राजीनामा हो जाना सारवान निर्विवादित एक तथ्य है।

03. अभियोजन कथा संक्षिप्त में इस प्रकार है कि दिनांक :- 14/08/2016 को शाम लगभग 05:34 बजे फरियादी गंगाराम के मामा का घर स्यौड़ा रोड़ वार्ड क्रमांक 12 मो में, आरोपीगण सोवरन एवं जीतू उर्फ जीता द्वारा फरियादी गंगाराम से गाली-गलौच करने, उसकी एवं आहत कमल की घूँसों एवं टायर लीवर से मारपीट करने तथा जान से मारने की धमकी देने की मौखिक रिपोर्ट फरियादी गंगाराम द्वारा उसी दिनांक को थाना मौ पर की जाने पर, थाना मौ में उक्त आरोपीगण के विरुद्ध अपराध क्रमांक 169/16 अन्तर्गत धारा 294, 323 एवं 506 भाग II सहपठित धारा 34 भा.द.सं. पंजीबद्ध कर प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध की गई। विवेचना के दौरान घटनास्थल का नक्शा मौका बनाया गया। आरोपीगण को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी

पत्रक बनाया गया। आरोपी जीतू उर्फ जीता से एक टायर लीवर जब्त कर जब्ती पंचनामा बनाया गया। फरियादी गंगाराम, आहत कमल सिंह, साक्षीगण राजेश एवं कुलदीप के कथन लेखबद्ध किये गये तथा विवेचना पूर्णकर आरोपीगण के विरुद्ध अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया।

04. अभियुक्तगण जीतू उर्फ जीता एवं सोवरन के विरुद्ध धारा 294, 323/34 एवं 324/34 भा.द.सं. का आरोप विरचित कर पढ़कर सुनाये, समझायें जाने पर अभियुक्तगण ने अपराध करना अस्वीकार किया। आरोपीगण का अभिवाक् अंकित किया गया। आरोपीगण एवं फरियादी/आहत के मध्य राजीनामा हो जाने के कारण अभियुक्तगण को धारा 294 एवं 323/34 भा.द.सं. के आरोप से दोषमुक्त किया जा चुका है।

05. न्यायिक विनिश्चय हेतु प्रकरण में मुख्य विचारणीय प्रश्न निम्नलिखित है :-

01. क्या आरोपी जीतू उर्फ जीता ने दिनांक :- 14/08/2016 को शाम लगभग 05:34 बजे फरियादी गंगाराम के मामा का घर स्यौड़ा रोड़ वार्ड क्रमांक 12 मो में, सहअभियुक्त सोवरन के साथ मिलकर कमल सिंह की मारपीट करने का सामान्य आशय बनाया और उक्त सामान्य आशय के अग्रसरण में अभियुक्त जीतू उर्फ जीता ने घातक आयुध टायर लीवर से कमल सिंह की मारपीट कर उसे स्वेच्छयाँ उपहति कारित की?

### सकारण व्याख्या एवं निष्कर्ष

06. फरियादी गंगाराम अ.सा.03 का उसके न्यायालयीन अभिसाक्ष्य में कहना है कि वह आरोपीगण जीतू उर्फ जीता एवं सोवरन को जानता हूँ। घटना उसके न्यायालयीन अभिसाक्ष्य दिनांक : 30/08/2017 से एक वर्ष पूर्व की होकर शाम के 05-06 बजे की है। वह अपने मामा कमल सिंह के मकान के सामने घर जाने के लिए बस का इंतजार कर रहा था। तभी एक खेत का खाली डम्पर आया, जिसे सोवरन चला रहा था, साथ में जीता यादव था, तो उसने डम्पर को हाथ देकर रुकवाया। साक्षी आगे कहता है कि डम्पर रुकवाने के उपर आरोपीगण से उसका मुँहवाद हो गया था, जिस पर से आरोपीगण ने उसकी मारपीट कर दी थी। अभियोजन द्वारा पक्षद्रोही घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर भी फरियादी गंगाराम अ.सा.03 ने आरोपी जीतू उर्फ जीता द्वारा दिनांक :- 14/08/2016 को शाम लगभग 05:34 बजे उसके मामा का घर स्यौड़ा रोड़ वार्ड क्रमांक 12 मो में, सहअभियुक्त सोवरन के साथ मिलकर कमल सिंह की घातक आयुध टायर लीवर से कमल सिंह की मारपीट कर उसे स्वेच्छयाँ उपहति कारित करने का तथ्य नहीं बताया है और इस वावत् अभियोजन कथा का समर्थन नहीं किया है। इस वावत् फरियादी गंगाराम अ.सा.03 की न्यायालयीन अभिसाक्ष्य तथा उसके पुलिस कथन प्र.पी.04 के तथ्यों के मध्य ऐसे लोप है, जो विरोधाभास की प्रकृति के है।

07. आहत कमल सिंह अ.सा.02 ने भी अभियोजन द्वारा पक्षद्रोही घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर आरोपी जीतू उर्फ जीता द्वारा दिनांक :- 14/08/2016 को शाम

लगभग 05:34 बजे सहअभियुक्त सोवरन के साथ मिलकर उसकी घातक आयुध टायर लीवर से मारपीट कर उसे स्वेच्छयाँ उपहति कारित करने का तथ्य नहीं बताया है और इस वावत् अभियोजन कथा का समर्थन नहीं किया है।

08. आरोपीगण एवं फरियादी/आहत के मध्य राजीनामा हो जाने का तथ्य अभिलेख में है और फरियादी गंगाराम अ.सा.02 एवं आहत कमल सिंह अ.सा.02 के न्यायायलीन अभिसाक्ष्य में भी आया है।

09. अभियोजन द्वारा इस बावत कोई अन्य साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गयी है जिससे यह प्रकट होता हो कि आरोपी जीतू उर्फ जीता ने दिनांक :- 14/08/2016 को शाम लगभग 05:34 बजे फरियादी गंगाराम के मामा का घर स्यौड़ा रोड़ वार्ड क्रमांक 12 मो में, सहअभियुक्त सोवरन के साथ मिलकर कमल सिंह की मारपीट करने का सामान्य आशय बनाया और उक्त सामान्य आशय के अग्रसरण में अभियुक्त जीतू उर्फ जीता ने घातक आयुध टायर लीवर से कमल सिंह की मारपीट कर उसे स्वेच्छयाँ उपहति कारित की।

10. अभियोजन आरोपीगण जीतू उर्फ जीता एवं सोवरन के विरुद्ध धारा 324/34 भा.द.सं का आरोप प्रमाणित करने में असफल रहा है। परिणामतः अभियुक्तगण को धारा 324/34 भा.द.सं. के अधीन दंडनीय अपराध के आरोप से दोषमुक्त कर इस मामले से स्वतंत्र किया जाता है।

11. अभियुक्तगण की उपस्थिति संबंधी प्रतिभूति एवं बंधपत्र भारमुक्त किये जाते हैं। जमानतदार को स्वतंत्र किया जाता है।

12. प्रकरण में आरोपी जीतू उर्फ जीता से जब्तशुदा टायर लीवर मूल्यहीन होने से अपील न होने की दशा में अपील अवधि पश्चात् नष्टकर व्ययनित किया जाये। अपील होने की दशा में माननीय अपीलीय न्यायालय का व्ययन संबंधी आदेश प्रभावी होगा।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित।  
एवं दिनांकित कर घोषित किया गया।

मेरे निर्देशन पर टंकित किया गया।

**(पंकज शर्मा)**

न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, गोहद

**(पंकज शर्मा)**

न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, गोहद